अध्याय-6

सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क

सूचना, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। **तथापि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा।** {धारा 7 (5)}

आवेदन शुल्क : {धारा 6 (1)}

- सूचना के लिए अनुरोध करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 10 रुपये देय होगा। आवेदन शुल्क दिये बगैर सूचना का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन शुल्क 10 रुपये प्रति आवेदन पत्र के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार हैं :–

1. **सूचना की :–**
   - (i) **तैयार की गयी सामग्री अथवा,**
   - (ii) **अभिलेख की छाया प्रति**

     दिये जाने पर A4 या A3 साईज के एक पृष्ठ का 2 रुपये प्रति पेज।
2. **बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत।**
3. **अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये प्रथम घँटा हेतु कोई शुल्क नहीं एवं उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क 5 रुपये।**
4. **डिस्केट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये 50 रुपये प्रति फ्लॉपी/डिस्केट।**
5. **मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये।**
6. **सैम्पल/मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत।**

अतिरिक्त शुल्क की सूचना दिया जाना : {धारा 7 (3)}

- आवेदन शुल्क (10 रुपये) के अतिरिक्त जहाँ सूचना को उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देय है, वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को निम्न बातों के सम्बन्ध में सूचित करेगा :–
    - (i) अतिरिक्त शुल्क का आंकलन प्रदर्शित करते हुए शुल्क की राशि।
    - **(ii) शुल्क जमा कराने की सूचना दिये जाने की तिथि से शुल्क जमा करने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित 30 दिन की समयावधि में नहीं जोड़ा जायेगा।**
    - (iii) अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को कोई शिकायत हो तो वह इसके लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ 30 दिनों में अपील कर सकता है।
    - (iv) विभागीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता, तथा अपील करने की समय अवधि आदि की सूचना।

शुल्क का भुगतान :

- आवेदन शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नकद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स् चैक के माध्यम से किया जा सकता है।
- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स् चैक विभाग या लोक प्राधिकारी के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बनाया जाएगा।
- लोक प्राधिकारी शुल्क जमा करके उसकी रसीद अनुरोधकर्ता को देगा तथा प्राप्त शुल्क को राजकोष में जमा करेगा।

विलम्ब से सूचना देने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा : {धारा 7 (6)}

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा के अन्दर अनुरोधकर्ता को सूचना देने में असमर्थ रहता है तो अनुरोधकर्ता को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

––◆––